

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 5573/डी /2017/19/यो
प्रति,

भोपाल, दिनांक 30/10/2017

- 1 प्रबंध संचालक,
म.प्र. रोड डेवलपमेंट कार्पो. लिमि.,
अरेरा हिल्स, भोपाल।
- 2 प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
निर्माण भवन, भोपाल।
- 3 परियोजना संचालक,
लोक निर्माण विभाग,
परियोजना क्रियान्वयन ईकाई,
भोपाल।

विषय: कांक्रीट कार्यों में क्रशड स्टोन सेंड के उपयोग हेतु मापदण्ड।

- संदर्भ: 1. म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग का पत्र क्र. 4096/2017/19/यो भोपाल दिनांक 27.07.2017
2. प्रमुख अभियंता कार्यालय का परिपत्र क्र. संचार/लोनिवि/2016/1302 भोपाल, दिनांक 28.04.2016
3. परियोजना संचालक, लो.नि.वि. पी.आई.यू. का परिपत्र क्र. एफ 64-7/2015/क्रशड सेंड/कार्य/पी.डी./2744 भोपाल दिनांक 08.09.2015

कांक्रीट कार्यों में क्रशड स्टोन सेंड के उपयोग हेतु जारी शासन के संदर्भित पत्र में उल्लेखित निर्देशों में आंशिक संशोधन करते हुए Manufactured Sand के उपयोग की मात्रा अधिकतम 75 प्रतिशत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। शासन के परिपत्र क्र. 4096/2017/19/यो भोपाल दिनांक 27.07.2017 में उल्लेखित निर्देश निम्नानुसार यथावत रहेंगे :-

1. कांक्रीट के कार्यों में उपयोग किये जाने वाली Crushed Stone Sand भारतीय मानक IS 383 : 2016 अनुसार होनी चाहिये।
2. क्रशर सेंड Vertical Shaft Impactor प्लान्ट से ही निर्मित होना चाहिये अन्य प्लान्ट से नहीं।
3. क्रशर सेंड का Fineness Modulus चेक करने के उपरान्त ही उपयोग करें।
4. क्रशर सेंड का ग्रेडेशन IS 383 : 2016 के अनुसार होना चाहिए।
5. क्रशर सेंड के पार्टिकल्स फ्लेकी नहीं होना चाहिए।
6. क्रशर सेंड के पार्टिकल्स Cubical with grounded edges होना चाहिए।

(चन्द्रप्रकाश अग्रवाल)
सचिव

म0प्र0 शासन, लोक निर्माण विभाग

कार्यालय प्रमुख अभियंता,
मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग,

"निर्माण भवन", प्लॉट नं.27-28 प्रथम तल अरेरा हिल्स, मध्यप्रदेश भोपाल

पृ.क्र. 26 /टेक्निकल सर्कुलर/संचार/2016/4782

भोपाल, दिनांक...13/11/17

समस्त मुख्य अभियंता, समस्त अधीक्षण यंत्री, समस्त कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

मुख्य अभियंता (आ/ब)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग भोपाल